18

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नंवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 145 / 2020 — दायर दिनांक–27.08.2020

1. गुल्लाराम पुत्र भागुराम उर्फ मांगु जाति जाट निवासी धायलों का बास तन कारी तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

–वादी

बनाम

1. जयपाल पुत्र त्रिलोका
2. जयराम पुत्र त्रिलोका
3. जयसिंह पुत्र त्रिलोका
4. महेश पुत्र त्रिलोका
5. नेमीचन्द पुत्र त्रिलोका
6. नारूराम पुत्र टोडाराम
7. रामनिवास पुत्र मुखराम
8. पतासी पत्नी जगना
9. श्रीचन्द पुत्र जगना
10. सतबीर पुत्र जगना
11. बरजी पत्नी फूला
12. ओमप्रकाश पुत्र फूला
13. वेदप्रकाश पुत्र फूला
14. रामजीलाल पुत्र फूला
15. महेन्द्र सिंह पुत्र हरिबक्शा
16. परमेश्वरी पत्नी घासीराम
17. संजय कुमार पुत्र घासीराम
18. प्रियंका कुमारी पुत्री घासीराम
19. करणीराम पुत्र शैतान
20. बहादुरसिंह पुत्र शैतान
21. झिमकोरी पुत्री शैतान
22. परमेश्वरी पुत्री शैतान
23. बिदामी पुत्री शैतान
24. मालाराम पुत्र भानाराम
25. जीवा देवी पत्नी भूराराम
26. फूलीदेवी पुत्री पोकर
27. मंजू पुत्री पोकर
28. हरिराम दत्तक पुत्र पोकर जाति जाट निवासी धायलों की बास तन कारी तहसील नवलगढ़
29. प्रबंधक बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बड़वासी
30. प्रबंधक बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कारी
31. प्रबंधक बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जाखल
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:57:36 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत
वकील प्रति. :– श्री विनोद कुमार शेखावत

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड
व स्थायी निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 05.05.2023

ए. सा. इ. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम धायलों का बास तन कारी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 47 की भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 1801/383, 1805/398, 1808/461, 1810/467, 378, 379, 380, 381, 382, 399, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 468 रकबा क्रमश 0.25, 0.33, 0.05, 0.15, 2.02, 1.00, 0.95, 0.60, 0.36, 0.80, 0.85, 1.30, 1.15, 0.44, 0.92, 0.66, 0.80, 1.40, 1.07, 0.10, 0.11, 0.20, 0.33, 0.44, 0.74, 1.14 हैक्टर कुल किता 26 कुल रकबा 18.16 हैक्टर अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 89/1, 159, 160, 161, 167 है। उक्त वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 28 की पैत्रिक भूमि है जिसको वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 28 ने अपनी अपनी हिस्सेदारी के अनुसार बांट रखी है जिसके आधार पर स्व0 पदमा के वारिसान में वादी का सम्पूर्ण भूमि में 1/6 हिस्सा प्रतिवादी 1 लगायत 5 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 6 लगायत 14 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण 19 लगायत 23 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण नं0 24 लगायत 28 का 1/6 हिस्सा बनता है इसी आधार पर पदमाराम ने विभाजन कर रखा है व अपनी अपनी भूमि को काश्त करते है जिसे प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया है। वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 28 स्व0 पदमा पुत्र नाथा के वारिसान है जिसकी वंशावली वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित है।

स्व0 पदमा के 6 पुत्र हुये जिनका नाम व उनके विधिक वारिसान का नाम उपरोक्त वंशावली में दर्शाया गया है। उपरोक्त वंशावली के आधार पर व सम्वत 2012 लगायत 2015 की जमाबंदी जो प्रस्तुत वाद पत्र के साथ पेश है के आधार पर वादग्रस्त भूमि में पदमा के छः पुत्रों के विधिक वारिसानों में 1/6 हिस्सा वादी का, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी 1 लगायत 5 का, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 6 लगायत 14 का, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 15 लगायत 18 का, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 19 लगायत 23 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 24 लगायत 28 का कानूनन बनता है व इसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिये था लेकिन पदमा के फौत होने पर राजस्व कर्मचारियों ने एक नामान्तकरण संख्या 75 भरा जिसमें सहवन से वादी के पिता मांगु उर्फ भागू का नाम दर्ज न करके कानूनी भूल कर दी व शेष वारिसान का नाम दर्ज कर दिया जबकि मांगू उर्फ भागू, पदमा का जायन्दा पुत्र था व इसी जमाबंदी के बांये कॉलम में उसका नाम दर्ज था तथा इसी आधार पर आगे का राजस्व रिकॉर्ड भी बनता चला गया । वादी अपने हिस्से की 1/6 भूमि पूर्व से आज तक काश्त करता आ रहा है तथा पक्षकारों के मध्य कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नही है। उपरोक्त भूमि में 1/6 हिस्सा वादी का, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी 1 लगायत 5 का, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 6 लगायत 14 का, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 15 लगायत 18 का, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 19 लगायत 23 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 24 लगायत 28 का बनता है इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है व मौके पर वादग्रस्त भूमि का मौखिक विभाजन कर सीमाये बना रखी है। वादी का नाम सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में नही होने के कारण वह सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2012 लगायत 2015 जो ए मार्क की है में भरे गये नामान्तकरण संख्या 75 के आधार पर ही आगे की चौसाला जमाबंदिया जो सम्वत 2016 लगायत 2019 जो बी मार्क की है सम्वत 2020 लगायत 2023 जो सी मार्क की है में वादी के पिता का नाम दर्ज नही हो सका तथा सैटलमेंट के बाद आधार वर्ष सम्वत 2043 की जमाबंदी में जहां पदमा के विधिक वारिसान के नाम के साथ वादी का पिता का नाम दर्ज नही होना वादी के हिस्से पर कुठाराघात है जो गलत राजस्व ही आज स्मवत 2075 से 2078 की जमाबंदी में चला आ रहा है जिसको दुरूस्त कर वादी का नाम दर्ज करने बाबत उक्त वाद श्रीमान की सेवा में पेश है।

अतः वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आश्य की की जावें कि ग्राम धायलों का बास तन कारी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 47 की भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 1801/383, 1805/398, 1808/461, 1810/467, 378, 379, [illegible] 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, [illegible] 0.25, 0.33, 0.05, 0.15, 2.02, 1.00, 0.95, 0.60, 0.36, 0.80, 0.85, 1.30, 1.15, 0.44, 0.92, 0.66, ... 0.20, 0.33, 0.44, 0.74, 1.14 हैक्टर कुल किता 26 कुल रकबा 18.16 हैक्टर ... में से वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

उपरोक्त भूमि में 1/6 हिस्सा प्रतिवादी 1 लगायत 5, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 6 लगायत 14, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 15 लगायत 18, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 19 लगायत 23 तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 24 लगायत 28 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रत्येक का रिकॉर्ड उसके हिस्से अनुसार दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

प्रतिवादी नं0 29 लगायत 31 से जिन खातेदारों ने ऋण ले रखा उनके नाम रहन के इन्द्राज को यथावत रखा जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:57:36 IST
Reason: SelfAttested

अ.मु.न्या. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नागौर

जमाबंदी में दर्जशुदा खातेदारों में क्रमांक 19 मनभरी पत्नि टोडाराम, क्रमांक 22 परमेश्वरी पुत्री शैतान व क्रमांक 29 सोनी पत्नी मुखा के फौत होने के कारण उनका नाम हजफ फरमाया जावें व इनके विधिक वारिसान रिकॉर्ड पर है।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 20, 22 व 24 लगायत 32 की तामिल सम्यक रूप होने पर इनके ओर से कोई उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 21 व 23 की ओर से इकबालिया जबाब पेश किया। प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही व इकबालिया जबाब पेश होने पर प्रकरण में विवाद्यक बनाये जाने की आवश्यकता नही रह जाती है।

साक्ष्य वादी में जगदीश पुत्र गुल्लाराम उपस्थित होकर चीफ का सपथ पत्र पेश किया तथा अपने वाद–पत्र के संबंध में प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी संवत 2012–2015, प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी संवत 2016–2019, प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी संवत 2021–2023, प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी संवत 2024–2028, प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी आधार वर्ष 2043 से लगातार, प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी 2075–2078 आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवायें।

शहादत वादी पेश होने के पश्चात बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। बहस का मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वाके ग्राम धायलों का बास तन कारी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 47 की भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 1801/383, 1805/398, 1808/461, 1810/467, 378, 379, 380, 381, 382, 399, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 468 रकबा क्रमश 0.25, 0.33, 0.05, 0.15, 2.02, 1.00, 0.95, 0.60, 0.36, 0.80, 0.85, 1.30, 1.15, 0.44, 0.92, 0.66, 0.80, 1.40, 1.07, 0.10, 0.11, 0.20, 0.33, 0.44, 0.74, 1.14 हैक्टर कुल कितां 26 कुल रकबा 18.16 हैक्टर भूमि में से वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा उपरोक्त भूमि में 1/6 हिस्सा प्रतिवादी 1 लगायत 5, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 6 लगायत 14, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 15 लगायत 18, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 19 लगायत 23 तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 24 लगायत 28 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रत्येक का राजस्व रिकॉर्ड उसके हिस्से अनुसार दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना व जमाबंदी में दर्जशुदा खातेदारों में क्रमांक 19 मनभरी पत्नि टोडाराम, क्रमांक 22 परमेश्वरी पुत्री शैतान व क्रमांक 29 सोनी पत्नी मुखा के फौत होने के कारण उनका नाम हजफ फरमाया जाना आवश्यक व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम धायलों का बास तन कारी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 47 की भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 1801/383, 1805/398, 1808/461, 1810/467, 378, 379, 380, 381, 382, 399, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 468 **रकबा क्रमश** 0.25, 0.33, 0.05, 0.15, 2.02, 1.00, 0.95, 0.60, 0.36, 0.80, 0.85, 1.30, 1.15, 0.44, 0.92, 0.66, 0.80, 1.40, 1.07, 0.10, 0.11, 0.20, 0.33, 0.44, 0.74, 1.14 हैक्टर कुल किता 26 कुल रकबा 18.16 हैक्टर भूमि में से वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त भूमि में 1/6 हिस्सा प्रतिवादी 1 लगायत 5, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 6 लगायत 14, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 15 लगायत 18, 1/6 हिस्सा प्रतिबादी नं0 19 लगायत 23 तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 24 लगायत 28 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रत्येक का राजस्व रिकॉर्ड उसके हिस्से अनुसार दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना व जमाबंदी में [illegible]दारों में क्रमांक 19 मनभरी पत्नि टोडाराम, क्रमांक 22 परमेश्वरी पुत्री शैतान [illegible] क्रमांक 29 सो[illegible] के फौत होने के कारण उनका नाम हजफ फरमाया किया जाता है इसी अनुसार [illegible] रिकॉर्ड [illegible] में दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार [illegible] खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। त[illegible]र पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सह[illegible]क्टर व
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:57:36 IST
Reason: SelfAttested

21

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम
बईजलास नवलगढ़ दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 145 / 2020 **(गुल्लाराम बनाम जयपाल आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **05.05.2023** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम धायलों का बास तन कारी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 47 की भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 1801 / 383, 1805 / 398, 1808 / 461, 1810 / 467, 378, 379, 380, 381, 382, 399, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 468 रकबा क्रमश 0.25, 0.33, 0.05, 0.15, 2.02, 1.00, 0.95, 0.60, 0.36, 0.80, 0.85, 1.30, 1.15, 0.44, 0.92, 0.66, 0.80, 1.40, 1.07, 0.10, 0.11, 0.20, 0.33, 0.44, 0.74, 1.14 हैक्टर कुल किता 26 कुल रकबा 18.16 हैक्टर भूमि में से वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त भूमि में 1/6 हिस्सा प्रतिवादी 1 लगायत 5, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 6 लगायत 14, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 15 लगायत 18, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 19 लगायत 23 तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 24 लगायत 28 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रत्येक का राजस्व रिकॉर्ड उसके हिस्से अनुसार दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना व जमाबंदी में दर्जशुदा खातेदारों में क्रमांक 19 मनभरी पत्नि टोडांराम, क्रमांक 22 परमेश्वरी पुत्री शैतान व क्रमांक 29 सोनी पत्नी मुखा के फौत होने के कारण उनका नाम हजफ फरमाया किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

जिन...........–............ मुबलिग...........–...........बाबत.....–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–....... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.05.2023 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	06.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना [illegible]	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा [illegible]	–
फीस कमिश्नर	–	[illegible]	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय [illegible]	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	16.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:57:36 IST
Reason: SelfAttested